हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 133

शुक्रवार, 11 मार्च, 2022/20 फाल्गुन,1943(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 5061 से 5067 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 5068 से 5114 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2090 से 2132 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (निधि का गठन, निधि के उपयोजन की रीति एवं बजट तैयार करने के लिए प्रारूप और अवधि) नियम, 2007(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2020-2021 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 217वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 129वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 218वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 130वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 219वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 134वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का 220वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 135वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि जल शक्ति विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में सप्लाई ऑफ पॉवर न मिलने/विलम्ब के कारण लम्बित सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 57वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 27वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 58वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है।

(4) **श्री रोहित ठाकुर, सदस्य, जन-प्रशासन समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 21 सहकारिता विभाग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

"अब वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट अनुमान की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने

के लिए मैं मुख्य मंत्री जी, जिनके पास वित्त विभाग भी है द्वारा प्राधिकृत माननीय जल शक्ति मंत्री की ओर से सभी मांगों को सदन में प्रस्तुत हुआ समझता हूं।

सभी मांगें प्रस्तुत हुई समझी गई।

विपक्ष की ओर से अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु प्राथमिकताओं का जो क्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप मैं उनको सभा में चर्चा एवं मतदान हेतु रखूंगा।

इससे पूर्व कि अनुदान मांगों पर चर्चा हो, मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि वे अपनी बात जरूर रखें परन्तु अपनी बात संक्षेप में रखें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा अनुदान मांगों पर विचार हो सके। सर्वप्रथम मांग संख्याः 8(शिक्षा) को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं।"

मांग संख्याः 8 (शिक्षा)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 8 (शिक्षा) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 74,51,77,37,000 और 87,38,01,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस पर श्रीमती आशा कुमारी(सांकेतिक कटौती), सर्वश्री हर्ष वर्धन चौहान, मुकेश अग्निहोत्री, जगत सिंह नेगी, नन्द लाल, इन्द्र दत्त लखनपाल, सुन्दर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी, भवानी सिंह पठानिया तथा श्री राकेश सिंघा, माननीय सदस्यों की ओर से प्राप्त 7 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्रीमती आशा कुमारी

(कर्नल इन्द्र सिंह 12.10 बजे अपराह्न सभापति पदासीन हुए)

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री
4. श्री नन्द लाल

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक कर्नल इन्द्र सिंह, माननीय सभापति की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

कटौती प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

5. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
6. श्री संजय अवस्थी
7. श्री राकेश सिंघा
8. श्री जगत सिंह नेगी

शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्याः 7 (पुलिस और सम्बद्ध संगठन)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 7 (पुलिस और सम्बद्ध संगठन)_के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 16,14,37,53,000/- और 66,04,00,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस पर सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, जगत सिंह नेगी, इन्द्र दत्त लखनपाल, राकेश सिंघा तथा श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से पांच कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री

(03.30 बजे अपराह्न श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री जगत सिंह नेगी
3. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
4. श्री राकेश सिंघा
5. श्री नन्द लाल

06.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 14 मार्च, 2022 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।